

शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं _____ पुत्र / पुत्री _____ सशपथ व शपथ करता हूँ

(A) कि मेरा नाम _____ पुत्र / पुत्री _____
निवासी _____ हूँ.

(B) यह कि मैं डायरेक्ट सेल्लिंग के कार्य में डायरेक्ट सेलर के रूप में YODHAAVEDA NATURAL INDIA PVT. LTD कंपनी में दिनांक _____ से कार्य कर रहा हूँ

(C) यह कि मैंने कंपनी के साथ संपूर्ण शर्तों व निबंधनों के साथ डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट पर राजी खुशी, पूर्ण होशोहवाश व स्वस्थ चित्त मस्तिष्क के साथ हस्ताक्षर कर लिया है. मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है. मेरा डायरेक्ट सेलर कोड _____ है.

(D) यह कि मैं और मेरे नीचे का कोई भी डायरेक्ट सेलर निम्न करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे -

- a) यह कि जहाँ संविदा आरम्भ करने के 2 वर्षों के भीतर अथवा मेरे द्वारा की गयी अंतिम बिक्री की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कंपनी से बिक्री करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे
- b) यह कि बिक्री प्रस्तुतिकरण देते समय सर्वप्रथम अनुरोध के बिना सत्यता एवं स्पष्ट रूप से स्वयं की पहचान बताऊंगा, कंपनी की पहचान बताऊंगा, बेची गयी वस्तुओं के प्रकृति और प्रत्याशी उपभोक्ता को अनुरोध करने का उद्देश्य बताऊंगा
- c) यह कि प्रत्याशी उपभोक्ता को वस्तुओं के मूल्य साख की शर्तें, वापसी की नीतियां, गारंटी की शर्तें, बिक्री के बाद की सेवाएं एवं संपूर्ण विवरण तथा निरूपण प्रदान करूंगा
- d) यह कि बिक्री के समय प्रत्याशी / उपभोक्ताओं को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करूंगा -

1. अपने स्वयं का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या, पहचान का प्रमाण और टेलफोन नंबर तथा कंपनी का ब्यौरा आदि.
2. लेनदेन से पूर्व उपभोक्ता को कंपनी की वस्तुओं के वापसी की नीतियों के बारे में विस्तार से बताना,
3. आर्डर की तारीख, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कूल राशि, बिल और रसीद सहित
4. नमूने के निरीक्षण और वस्तु की सुपुर्दगी का समय या स्थान,
5. अपने आर्डर को रद्द करने की अधिकार की जानकारी और / अथवा विक्रय योग्य स्थिति में उत्पाद की वापसी और भुगतान की गयी राशि का पूर्ण प्रतिदान,
6. आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का विवरण
7. शिकायत प्रतिरोध तंत्र की सम्बन्ध में विवरण

(E) यह कि मैं लेखा की उचित पुस्तिका रखूंगा जिसमें उत्पादों के मूल्य, कर और मात्रा का व्योरा रहेगा और मेरे द्वारा बेचे गए वस्तुओं की सम्बन्ध में ऐसे अन्य व्योरे रखूंगा जो नियम के की तहत निर्धारित किये गए हों,

(F) यह कि मैं निम्न कार्य नहीं करूंगा :->

1. संभावित अथवा मौजूद प्रत्यक्ष विक्रेता या विक्रेताओं को या उपभोक्ता या संभावित उपभोक्ताओं को या कंपनी के कर्मचारी या सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष कंपनी या इनके संचालकों या कंपनी के उत्पादों के बारे में या

कंपनी के पारिश्रमिक के बारे में झूठा, गलत या भ्रामक प्रचार करना या उनकी प्रतिष्ठा या छवि को धूमिल करने का प्रयास करना

2. अपने साथी डायरेक्ट सेलर को दूसरी अन्य कंपनी में कार्य करने का लालच देना और इस कंपनी के छवि खराब करना या कंपनी के विरुद्ध साथी डायरेक्ट सेलर को भड़काना या कंपनी के खिलाफ अनावश्यक शिकायतें करना आदि.
3. भ्रामक, कपटपूर्ण और / अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों का प्रयोग,
4. भ्रामक, झूठे, कपटपूर्ण और / अथवा अनुचित नियुक्ति पद्धतियों का प्रयोग, जिसमें संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ उनके संपर्क में वास्तविक अथवा संभावित बिक्री अथवा आय की गलत प्रस्तुति और किसी भावी प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के लाभ शामिल हैं.
5. संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को ऐसा कोई वास्तविक प्रस्तुतीकरण देना जिसे सत्यापित न किया जा सके अथवा कोई वादे करना जिसे पूरा न किया जा सके.
6. संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता से झूठे और / अथवा कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री के लाभ प्रदान करना,
7. प्रत्यक्ष बिक्री के संचालन से सम्बंधित कोई प्रस्तुतीकरण जो जानबूझकर किया जाये, छोड़ा जाये अथवा ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो, जिसे प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच पारिश्रमिक प्रणाली और समझौता शामिल है अथवा ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेचीं जा रही वस्तुएं और / अथवा सेवाएं जो झूठी और / अथवा भ्रामक हो,
8. अनुचित रूप से बड़ी मात्रा में वस्तुओं और / अथवा सेवाओं को खरीदने के लिए पहली बार उल्लिखित प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा नियुक्त प्रत्यक्ष विक्रेता की आवश्यकता अथवा उनको प्रोत्साहित करना,
9. कोई साहित्य और / अथवा प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना जो मूल प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी के अंदर और बाहर संभावित और / अथवा मौजूद प्रत्यक्ष विक्रेताओं को प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी द्वारा जारी अनुसांगिक तक ही सीमित न हो
10. संभावित अथवा मौजूद प्रत्यक्ष विक्रेताओं को साहित्य अथवा प्रशिक्षण सामग्रियां अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शन उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना

(G) यह कि मेरे द्वारा उक्त पैरा (A) से (B) पैरा में वर्णित शपथ में कोई झूठ पाया गया जाता है या गलत वर्णन पाया जाता है या पैरा (D) व (E) में उल्लिखित कोई भी कृत्य का लोप होता है या पैरा (F) में वर्णित उल्लेखित कोई कार्य करता मैं पाया जाऊं या दोषी हूँ तो कंपनी मुझे बिना नोटिस दिए मेरी संविदा रद्द कर सकती है तथा मैं स्वयं सिविल व दाण्डिक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही तथा उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी की गयी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अधीन किसी भी कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा

शपथकर्ता

सत्यापक

यह कि पैरा (A) से (G) को मैं पुरे होशोहवास में स्वस्थ चित व मस्तिष्क से पढ़ लिख व समझ कर हस्ताक्षरित व सत्यापित करता हूँ.

शपथकर्ता

गवाह

1 नाम ----- सेलर आई डी ----- हस्ताक्षर -----

2 नाम ----- सेलर आई डी ----- हस्ताक्षर -----